(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खंड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं.39/2024–2025
दिनांकः 5 जनवरी, 2025

विषयः प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु प्रक्रिया।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा पहले की सार्वजनिक सूचना संख्या 73 (आरई–2013)/2009–2014 दिनांक 18.11.2014 और सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015–2020 दिनांक 05.05.2015 के अधिक्रमण में प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात हेतू निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करती हैं:

(i) निर्यात हेतु "जैविक उत्पाद" केवल तभी प्रमाणित किए जाएंगे जब समय–समय पर यथा संशोधित एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर उपलब्ध "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)" दस्तावेज में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार उत्पादित, संसाधित, पैक और लेबले किए गए हो।

(ii) किसी उत्पाद को "जैविक उत्पाद" के रूप में निर्यात करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उसके साथ वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी किया गया अंतरण प्रमाणपत्र (टीसी) संलग्न हो।

(iii) एनपीओपी का 8वां संस्करण इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 180 दिनों के बाद से लागू होगा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। यह पहले की सार्वजनिक सूचना संख्या 73 (आरई–2013)/2009–2014 दिनांक 18.11.2014 और सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015–2020 दिनांक 05.05.2015 का अधिक्रमण करती है।

संतोष कुमार सारंगी 5.1.2025

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/190/एएम15/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)